परिशिष्ट - VIII

(निविदा सूचना क्रमांक ते.प.(2017)-I दिनांक 09.11.2016 का परिशिष्ट)

गोदाम किराये का त्रि-पक्षीय करारनामा
[क्रेता का करारनामा की शर्त क्रमांक 6 (ख)]

यह करार आज दिनांक .....माह.....सन्.....को प्रथम पक्ष प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित....., (जहां संदर्भ में ऐसा ग्राहय हो, उनके कार्यालयीन उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष के श्री..... .....आत्मज .....निवासी.....ग्राम..... और जो (1) श्री.....(2) श्री ....(3) श्री ..... के साथ ....स्थित कम्पनी, जिसका नाम .....है तथा जो इंडियन कंपनी एक्ट, 1913 (7-1913), कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के अधीन पंजीकृत है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय .....में स्थित है, के साथ भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं, जो इसमें इसके पश्चात् क्रेता के नाम से विनिर्दिष्ट है (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राहय न हो, उसके दायद, उत्तराधिकारी, निष्पादक और उनके उत्तरजीवी, अंतिम उत्तरजीवियों के दायद, निष्पादक तथा प्रशासक उक्त कंपनी का तत्कालीन भागीदार, उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) के बीच किया जाता है (उन शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हो), तथा तृतीय पक्ष के श्री.....आत्मज ....निवासी.....ग्राम.....और जो (1) श्री.....(2) श्री ....(3) श्री ..... के साथ ....स्थित कम्पनी, जिसका नाम .....है तथा जो इंडियन कंपनी एक्ट, 1913 (7-1913), कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के अधीन पंजीकृत है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय .....में स्थित है, के साथ भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं, जो इसमें इसके पश्चात् गोदाम मालिक के नाम से विनिर्दिष्ट है (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राहय न हो, उसके दायद, उत्तराधिकारी, निष्पादक और उनके उत्तरजीवी, अंतिम उत्तरजीवियों के दायद, निष्पादक तथा प्रशासक उक्त कंपनी का तत्कालीन भागीदार, उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) के बीच किया जाता है (उन शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हो)

चूँकि क्रेता, क्रेता करारनामा (परिशिष्ट- IV) की शर्त क्रमांक- 6 (ख) में दर्शाये अनुसार क्रेता के द्वारा संग्रहण वर्ष..... के लाट क्रमांक..... की देय राशि को किश्तों में पटाने की सुविधा प्राप्त करने की दृष्टि से पत्ते को तृतीय पक्षकार के .....स्थित गोदाम में क्रेता एवं संघ के दोहरे ताले में रखने के लिये इच्छा व्यक्ति की है, तृतीय पक्षकार द्वारा गोदाम के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में (अभिलेख का नाम) प्रस्तुत किया गया है तथा गोदाम द्वितीय पक्षकार को तेन्दूपत्ता रखने के लिये किराये पर देने पर सहमति दी है तथा जिला यूनियन के प्रबंध संचालक द्वारा पत्ते को इस गोदाम में रखने की अनुमति प्रदान की गई है ।

अब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और संबंधित पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैं :-

1. क्रेता करारनामा की अवधि -

यह करार दिनांक 01.05.2017 से प्रारम्भ होगा और जिस त्रैमास तक लाट का पूर्ण पत्ता गोदाम से क्रेता (अन्य क्रेता सहित) के द्वारा निकाल नहीं लिया जाता या दिनांक 31.12.2018 में जो भी पूर्व हो तक प्रवृत्त रहेगा । त्रैमास से तात्पर्य जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर तथा अक्टूबर से दिसंबर है ।

2. करारनामे के भाग -

इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा कि वह छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 के, और उसके अधीन बनाये गये नियमों के, और उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन समय-समय पर जारी किए गए आदेशों तथा अधिसूचनाओं तथा इस निविदा सूचना के निबंधन तथा शर्तों के तथा इस निविदा सूचना के समस्त परिशिष्ट इस करार के भाग होंगे, और इसके भाग बन गये समझे जावेंगे, और जिनका अर्थ लगाया जायेगा कि इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित है, उपबंधों के अध्यधीन है ।

3. यह कि उक्त लाट के तेन्दूपत्ते के भण्डारण हेतु द्वितीय पक्षकार तृतीय पक्षकार को रूपये (अंको में) ..... (शब्दों में)..... का त्रैमासिक किराया प्रत्येक त्रैमास से पूर्व राशि प्राप्ति रसीद प्राप्त कर अग्रिम में भुगतान करेगा तथा इसके उपरान्त ही तेन्दूपत्ते की गोदाम से निकासी कर सकेगा । जून 2017 तक का गोदाम किराया द्वितीय पक्षकार द्वारा रूपये (अंको में)..... (शब्दों में) ..... अग्रिम में तृतीय पक्षकार को भुगतान कर दिया गया है । गोदाम किराये के भुगतान का कोई दायित्व प्रथम पक्षकार का नहीं होगा ।

4. यह कि यदि पक्षकार क्रमांक-2 को विक्रित उक्त लाट का क्रेता करारनामा मुख्य वन संरक्षक के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, तो भंण्डारित तेन्दूपत्ता पूर्णतया प्रथम पक्ष के अधिकार में आ जायेगा और इस पर द्वितीय पक्ष के सभी अधिकार समाप्त हो जावेगें । भण्डारित तेन्दूपत्ते का स्वामित्व लघु वनोपज संघ/शासन के पास होने के उपरांत भी जब तक कि गोदाम में भण्डारित तेन्दूपत्ते का विक्रय किसी अन्य क्रेता को नहीं कर दिया जाता तथा अन्य क्रेता के द्वारा गोदाम से पूर्ण तेन्दूपत्ता निकाल नहीं लिया जाता, तब तक किराये की राशि का भुगतान द्वितीय पक्षकार तृतीय पक्षकार को अनिवार्य रूप से करता रहेगा तथा पक्षकार क्रमांक-1 का अथवा उक्त लाट के अन्य क्रेता का गोदाम किराये के भुगतान का कोई दायित्व नहीं होगा । अन्य क्रेता के नियुक्त होने पर गोदाम खाली होने पर गोदाम के रिक्त होने की सूचना प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को दी जावेगी ।

5. यह कि पक्षकार क्रमांक-3 द्वारा गोदाम में भण्डारित तेन्दूपत्ते के भण्डारण एवं निकासी से किसी प्रकार का संबंध नहीं रहेगा । अन्य क्रेता नियुक्त होने की स्थिति में किराये के भुगतान में द्वितीय तथा तृतीय पक्षकारों में विवाद होने पर भी या तीनों पक्षकारों में किसी अन्य विवाद के होने पर द्वितीय तथा तृतीय पक्षकार अन्य क्रेता या प्रथम पक्षकार के साथ गोदाम में भण्डारित पत्ते पर नियंत्रण अथवा पत्ते की निकासी में भी कोई विवाद/व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे । तृतीय पक्षकार द्वारा प्रथम एवं द्वितीय पक्षकार को तथा अन्य क्रेता को गोदाम तक पहुंचने की निर्बाध सुविधा प्रत्येक दिवस प्रातः 5.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक उपलब्ध कराई जावेगी, भले ही गोदाम तृतीय पक्षकार के किसी ऐसे परिसर में स्थित हों, जिसको कि तृतीय पक्षकार द्वारा अन्य ताले से बंद किये जाने से इस गोदाम तक पहुंचना संभव नहीं होता है ।

6. यदि द्वितीय एवं तृतीय पक्षकार द्वारा इस कारारनामें की किसी शर्त (शर्त क्रमांक-7 सहित) का उल्लंघन किया जाता है, तो किसी अन्य वैधानिक कार्यवाही पर विपरीत प्रभाव डाले बिना प्रथम पक्षकार द्वारा रूपये 50000/- तक की शास्ति प्रति उल्लंघन अधिरोपित की जा सकेगी तथा बारंबार अथवा गंभीर उल्लंघन की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा यह करारनामा समाप्त भी किया जा सकेगा एवं ऐसी समाप्ति की दशा में प्रथम पक्ष भण्डारित तेन्दूपत्ता की पूर्ण अवशेष मात्रा को अपने अधिपत्य में ले सकेगा एवं कहीं भी परिवहन/भण्डारण कर सकेगा । शास्ति अधिरोपित तथा करारनामा समाप्ति पर द्वितीय/तृतीय पक्षकार का नाम 5 वर्ष तक की कालावधि के लिये काली सूची में भी दर्ज किया जा सकेगा । द्वितीय/तृतीय पक्षकार को काली सूची में दर्ज किये जाने के उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ उससे किसी प्रकार का व्यापारिक या अन्य सव्यवहार नहीं करेगा । शास्ति अधिरोपित/करारनामा समाप्त/काली सूची में दर्ज किये जाने से पूर्व प्रथम पक्षकार कारण बताओ सूचना जारी करने की तिथि से 10 दिवस की अवधि द्वितीय/ तृतीय पक्षकार को प्रस्तुत करने के लिए प्रदाय करेगा । करारनामें की किसी शर्त का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं, के सम्बंध में प्रथम पक्षकार का निर्णय अंतिम तथा द्वितीय तथा तृतीय पक्षकार पर बंधनकारी होगा ।

7. कंडिका-6 के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी होने के उपरान्त द्वितीय/तृतीय पक्षकार जब तक कारण बताओ सूचना पत्र का निर्णय नहीं हो जाता तथा शास्ति प्रथम पक्षकार को भुगतान नहीं कर दी जाती तब तक द्वितीय/तृतीय पक्षकार अपनी किसी अचल सम्पत्ति का विक्रय नहीं कर सकेगें ।

8. यदि कंडिका-6 में अधिरोपित शास्ति प्रथम पक्षकार के द्वारा नोटिस जारी करने की तिथि से 21 दिवस के भीतर जमा नहीं की जाती है, तो प्रथम पक्षकार यह राशि द्वितीय/तृतीय पक्षकार की संघ/वन विभाग के पास उपलब्ध किसी राशि या वनोपज के विक्रय से या राजस्व के बकाया की भांति वसूली कर सकेगा ।

9. इस करार के अधीन उद्‌भूत होने वाले सभी विवाद छत्तीसगढ़ राज्य के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अध्यधीन होंगे ।

10. निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के द्वारा हस्ताक्षर किये गये, सील लगाई गई और द्वितीय पक्षकार एवं तृतीय पक्षकार को परिदत्त किया गया :-

साक्षीगण :-

1. .....
(हस्ताक्षर)

नाम एवं डाक का पूरा पता

2. .....
(हस्ताक्षर)

प्रबंध संचालक, जिला यूनियन.....

नाम एवं डाक का पूरा पता

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में द्वितीय पक्षकार एवं तृतीय पक्षकार द्वारा हस्ताक्षर किये गये :-

साक्षीगण :-

1. .....
(हस्ताक्षर)

नाम एवं डाक का पूरा पता

2. .....
(हस्ताक्षर)

नाम एवं डाक का पूरा पता

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर (क्रेता)
नाम.....
डाक का पता.....

तृतीय पक्षकार के हस्ताक्षर (गोदाम मालिक)
नाम.....
डाक का पता.....